

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश



मध्यप्रदेश विधान सभा में दिनांक 10 दिसम्बर, 2014
को पुरःस्थापित किये गये रूप में .

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०१४

रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१४

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९०८ का संख्यांक १६ का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा १७ का संशोधन.
५. धारा २० का संशोधन.
६. धारा २१ का संशोधन.
७. धारा २२ का संशोधन.
८. धारा २४ का स्थापन.
९. धारा २५ का स्थापन.
१०. धारा ३२-क का स्थापन.
११. धारा ३४ का संशोधन.
१२. धारा ४९ का संशोधन.
१३. धारा ५७ का संशोधन.
१४. धारा ६३-क का अंतःस्थापन.
१५. धारा ८२ का स्थापन.
१६. धारा ८२-क का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०१४

रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में, मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का सं. १६) को, (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९०८ का सं. १६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (४-क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

धारा २ का संशोधन.

“(४-ख) “इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक” का वही अर्थ होगा जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० (२००० का २१) की धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (न-क) में समनुदेशित किया गया है.

४. मूल अधिनियम की धारा १७ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (छ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्द्ध विराम, स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाए, अर्थात् :—

धारा १७ का संशोधन.

“(ज) कोई अन्य लिखत, जिसका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित हो.”;

(दो) उपधारा (३) में, शब्द “पुत्र” के स्थान पर, शब्द “संतान” स्थापित किया जाए.

५. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा २० का संशोधन.

“(१) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर ऐसी किसी दस्तावेज को, जिसमें कोई अन्तरालेखन, खाली स्थान, उद्धर्षण या परिवर्तन है, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिगृहीत करने से स्वविवेक से उस दशा के सिवाय इंकार कर सकेगा, जिसमें उस दस्तावेज का निष्पादन तथा दावेदारी करने वाले व्यक्ति ऐसे अन्तरालेखन, खाली स्थान, उद्धर्षण या परिवर्तन को अपने हस्ताक्षरों से या आद्याक्षरों से अभिप्रमाणित कर देते हैं.”.

६. मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा २१ का संशोधन.

“(१) स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई भी निर्वसीयती दस्तावेज, जब तक कि उसमें ऐसी संपत्ति की पहचान के लिए पर्याप्त, ऐसी संपत्ति का वर्णन उसकी अवस्थिति और प्रकार दर्शाने वाले मानचित्र तथा फोटोचित्रों के साथ अंतर्विष्ट न हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिगृहीत नहीं किया जाएगा.”.

धारा २२ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २२ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१) जहां कि राज्य सरकार की राय में यह साध्य है कि गृहों और भूमियों का वर्णन सरकारी मानचित्र या सर्वेक्षण के प्रति निर्देश से किया जा सकता है, वहां राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा अपेक्षा कर सकेगी कि पूर्वोक्त कि जैसे गृहों और भूमियों को धारा २१ के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार वर्णित किया जाए.”

धारा २४ का स्थापन.

विभिन्न समयों पर कई व्यक्तियों द्वारा निष्पादित दस्तावेज.

८. मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“२४. जहां कि दस्तावेज को विभिन्न समयों पर निष्पादित करने वाले कई व्यक्ति हैं, वहां ऐसी दस्तावेज अंतिम निष्पादन की तारीख से चार मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण और पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की जा सकेगी.”

धारा २५ का स्थापन.

जिस दशा में उपस्थापित करने में विलम्ब अपरिवर्जनीय है उस दशा के लिए उपबंध.

९. मूल अधिनियम की धारा २५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“२५. यदि अर्जेंट आवश्यकता या अपरिवर्जनीय दुर्घटना के कारण भारत में निष्पादित कोई दस्तावेज या की गई डिक्री या आदेश की प्रति, इस निमित्त एतस्मिन्पूर्व विहित समय का अवसान हो जाने के पश्चात् तक रजिस्ट्रीकरण करने के लिए उपस्थापित नहीं की जा सके तो रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर, उन दशाओं में, जिनमें उपस्थापन में विलम्ब चार मास से अधिक न हो, उस जुर्माने के संदाय पर जो कि उचित रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम के दस गुने से अधिक न हो, ऐसे दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण कर सकेगा.”

धारा ३२-क का स्थापन.

फोटोचित्र आदि का अनिवार्यतः लगाया जाना.

१०. मूल अधिनियम की धारा ३२-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“३२-क. धारा ३२ के अधीन समुचित रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में कोई दस्तावेज उपस्थापित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस दस्तावेज पर अपना पासपोर्ट आकार का फोटोचित्र और अंगूठे का निशान लगाएगा तथा हस्ताक्षर करेगा:

परन्तु जहां ऐसा दस्तावेज स्थावर संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित है तो ऐसे दस्तावेज में वर्णित ऐसी संपत्ति के प्रत्येक निष्पादक तथा दावेदार के पासपोर्ट आकार के फोटोचित्र तथा अंगूठे का निशान तथा हस्ताक्षर लिए जाएंगे.”

धारा ३४ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ३४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु जब राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई दस्तावेज इलेक्ट्रानिक फार्म में उपस्थापित किया जाता है, तो व्यक्तिगत रूप से उपसंजात होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी.”;

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(२) उपधारा (१) के अधीन उपसंजातियां एक ही समय पर होंगी.”;

(तीन) उपधारा (३) में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(कख) यह जांच करेगा कि क्या ऐसे दस्तावेज भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से स्टांपित किए गए हैं या नहीं;”;

(चार) उपधारा (४) का लोप किया जाए.

१२. मूल अधिनियम की धारा ४९ में, दो बार आने वाले शब्द, अंक और कोष्ठक "संपत्ति अंतरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ का ४)" के पश्चात्, शब्द "या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि" अंतःस्थापित किए जाएं. धारा ४९ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ५७ में, उपधारा (५) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:— धारा ५७ का संशोधन.

"परन्तु जब कोई रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज इलेक्ट्रानिक फार्म में हस्ताक्षरित है और संबंधित नियमों के अधीन सरकार द्वारा प्राधिकृत डाटाबेस में स्टोर किया गया है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का १) की धारा ६७ क के उपबंध के अधीन रहते हुए, उक्त प्राधिकृत डाटाबेस से उसकी प्रतियां डाउनलोड / जारी की जा सकेंगी और वे मूल दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं को साबित करने के प्रयोजन के लिए भी ग्राह्य होंगी."

१४. मूल अधिनियम की धारा ६३ के पश्चात्, भाग ११(ख) में, निम्नलिखित धारा, अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ६३-क का अंतःस्थापन.

"६३-क (१) अधिनियम के अधीन अपेक्षित समस्त उपस्थापन, पृष्ठांकन, पंजीबद्धकरण, प्रमाणन, हस्ताक्षर और बहियों तथा अनुक्रमणिकाओं का संधारण, नियमों के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, यदि कोई हो, इलेक्ट्रानिक फार्म में किए जा सकेंगे. उपस्थापन आदि इलेक्ट्रानिक फार्म में किए जा सकेंगे.

(२) समस्त बहियां ओर अनुक्रमणिकाएं जो सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुली हों, सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए यथा अधिसूचित शासकीय वेबसाइट या इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाई जा सकेंगी."

१५. मूल अधिनियम की धारा ८२ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ८२ का स्थापन.

"८२. जो कोई —(क) कोई मिथ्या कथन, चाहे वह शपथ पर हो या नहीं और चाहे वह अभिलिखित किया गया हो या नहीं, किसी ऐसे आफिसर के समक्ष, जो इस अधिनियम के निष्पादन में कार्य कर रहा हो, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में साक्ष्य करेगा; अथवा मिथ्या कथन करने, मिथ्या विवरण देने, मिथ्या दस्तावेज या नकलों या अनुवादों को परिदत्त करने, छद्म प्रतिरूपण और दुरूप्रेण के लिए शास्ति.

(ख) रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित किसी दस्तावेज में साक्ष्य कोई मिथ्या विवरण देगा; अथवा

(ग) किसी रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर को, किसी कार्यवाही में कोई मिथ्या दस्तावेज या दस्तावेज की मिथ्या प्रति या मिथ्या अनुवाद या मानचित्र या रेखांक की मिथ्या प्रति साक्ष्य परिदत्त करेगा; अथवा

(घ) किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा और ऐसे धरे रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में कोई दस्तावेज उपस्थापित करेगा या कोई स्वीकृति या कथन करेगा या कोई समन या कमीशन निकलवाएगा या कोई अन्य कार्य करेगा; या

(ङ) इस अधिनियम द्वारा दण्डनीय की गई बात का दुरूप्रेण करेगा,

वह कारावास से जिसकी अवाधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा."

१६. मूल अधिनियम की धारा ८२-क में, उपधारा (२) में, शब्द "दो सौ रुपए" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपए" स्थापित किए जाएं. धारा ८२-क का संशोधन.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) केन्द्रीय अधिनियम है। इस अधिनियम को विभिन्न राज्यों द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है। दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण, दस्तावेजों के निष्पादन के संबंध में कूटरचना को रोकने के लिये, दस्तावेजों में पारदर्शिता लाता है। संपत्ति के मूल्य में निरंतर हो रही वृद्धि के कारण विगत वर्षों में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों का महत्व बढ़ा है। प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रणाली को ध्यान में रखते हुये कतिपय संशोधन और नए उपबंधों की आवश्यकता है। निम्नलिखित उद्देश्यों और कारणों से वर्तमान संशोधन लाए जा रहे हैं—

- (१) उन दस्तावेजों को, जिनका कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित है, अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत कराए जाने योग्य भी होना चाहिए, अतः धारा १७ की उपधारा (१) में खण्ड (ज) का अंतःस्थापन आवश्यक है।
- (२) अन्तरालेखनों, खाली स्थानों, उद्धर्षणों या परिवर्तनों का अभिप्रमाणन, निष्पादक तथा दावेदार, दोनों के द्वारा किया जाना चाहिए, अतः धारा २०(१) में संशोधन आवश्यक है।
- (३) विद्यमान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ में वाद विषय की संपत्ति का मानचित्र लेने या संपत्ति का फोटोचित्र लेने के लिये कोई उपबंध नहीं है। ये दोनों उपबंध, संपत्ति की अवस्थिति, प्रकार तथा पहचान निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण हैं।
- (४) दस्तावेज उपस्थापित करने के लिये समय में वृद्धि, इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के माध्यम से उप रजिस्ट्रार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, अतः धारा २५ में संशोधन आवश्यक है।
- (५) क्रेता को अपना फोटो चिपकाने तथा अंगूठे का निशान लगाने के अतिरिक्त हस्ताक्षर करने के लिये भी उत्तरदायी होना चाहिए, अतः धारा ३२-क में संशोधन आवश्यक है।
- (६) तकनीकों में परिवर्तन के कारण रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में भी कुछ परिवर्तन अनिवार्य हो गए हैं, उदाहरण के लिये रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर के समक्ष सभी निष्पादकों की उपस्थिति अब एक ही समय आवश्यक होगी, अतः धारा ३४(२) में संशोधन आवश्यक है। वर्तमान में, रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर द्वारा यह परीक्षण करने के लिए कोई उपबंध नहीं है कि कोई दस्तावेज सम्यक् रूप से स्टांपित है अथवा नहीं। शासकीय राजस्व को संरक्षित करने की दृष्टि से इसे सम्मिलित किया जाना महत्वपूर्ण है। एक लोक अधिकारी के रूप में भी रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर ऐसे दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत नहीं कर सकता है जो कि सम्यक् रूप से स्टांपित नहीं है, अतः धारा ३४(३) में संशोधन आवश्यक है।
- (७) उन दस्तावेजों को, जिनका कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाना आवश्यक है, अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत कराए जाने योग्य भी होना चाहिए, अतः धारा ४९ में संशोधन अपेक्षित है।
- (८) इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली में डाउनलोड किए गए दस्तावेजों को विधिक अस्तित्व प्रदान करने के लिये, धारा ५७(५) में संशोधन आवश्यक है।
- (९) इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के संदर्भ में, कुछ प्रक्रियाएं संशोधित की जानी होंगी जैसे उपस्थापन, पृष्ठांकन, प्रमाणन आदि इलेक्ट्रानिक रूप से हस्ताक्षरित करवाने होंगे, अतः नई धारा ६३-क आवश्यक है।
- (१०) धारा ८२ तथा ८२-क में उपबंधित जुमाने की राशि को बढ़ाया जाना भी आवश्यक है।

अतएव इन धाराओं में संशोधन आवश्यक हैं।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख ५ दिसम्बर, २०१४.

संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य.

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

५

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१४ के खण्ड ७, १३ तथा १४ के द्वारा राज्य सरकार को निम्नांकित के संबंध में विधायिनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं—

१. खण्ड ७ गृहों तथा भूमियों के वर्णन के संबंध में सरकारी मानचित्र या सर्वेक्षण के संबंध में,
२. खण्ड १३ दस्तावेज के इलेक्ट्रानिक फार्म में प्राधिकृत डाटाबेस में स्टोर करने के संबंध में.
३. खण्ड १४ दस्तावेजों के उप स्थापन, पृष्ठांकन, पंजीबद्धकरण, प्रमाणन, हस्ताक्षर, और बहियों तथा अनुक्रमणिकाओं के इलेक्ट्रानिक फार्म में संधारण की प्रक्रिया के संबंध में.

नियम बनाए जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबन्ध

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का सं. १६) से उद्धरण.

- * * * *
- धारा २ (४-क) "इलेक्ट्रॉनिक फार्म" का वही अर्थ होगा जैसा कि उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० (२००० का सं. २१) की धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (द) में समनुदेशित किया गया है.
- * * * *
- धारा १७ (१) (छ) स्थावर सम्पत्ति के किसी भी रूप में विक्रय से संबंधित मुख्तारनामा.
- (३) पुत्र के दत्तक ग्रहण के लिये जो प्राधिकार पहली जनवरी, १८७२ के पश्चात् निष्पादित हुए हैं और वसीयत द्वारा प्रदत्त नहीं हैं, उनका भी रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा.
- * * * *
- धारा २० दस्तावेज, जिनमें अन्तरालेखन, खाली स्थान, उद्धर्षण या परिवर्तन है—
- (१) रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर किसी भी ऐसी दस्तावेज को, जिसमें कोई अन्तरालेखन, खाली स्थान, उद्धर्षण या परिवर्तन है, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिगृहीत करने से स्वविवेक में उस दशा के सिवाय इंकार कर सकेगा, जिसमें उस दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति ऐसे अन्तरालेखन, खाली स्थान, उद्धर्षण या परिवर्तन को अपने हस्ताक्षरों से या आद्याक्षरों से अनुप्रमाणित कर देते हैं.
- * * * *
- धारा २१ संपत्ति का वर्णन और मानचित्र या रेखांक—
- (१) स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई भी निर्वसीयती दस्तावेज, जब तक कि उसमें ऐसी संपत्ति की पहचान के लिये पर्याप्त ऐसी संपत्ति का वर्णन अन्तर्विष्ट न हो, रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रतिगृहीत न की जाएगी.
- * * * *
- धारा २२ सरकारी मानचित्रों या सर्वेक्षण के निर्देश द्वारा गृहों और भूमि का वर्णन—
- (१) जहां कि राज्य सरकार की राय में यह साध्य है कि जो गृह नगरों में के गृह नहीं हैं, उन गृहों का और भूमियों का वर्णन सरकारी मानचित्र या सर्वेक्षण के प्रति निर्देश से किया जा सकता है, वहां राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा अपेक्षा कर सकेगी कि पूर्वोक्त जैसे गृहों और भूमियों को धारा २१ के प्रयोजनों के लिये ऐसे वर्णित किया जाए.
- * * * *
- धारा २४ विभिन्न समयों पर कई व्यक्तियों द्वारा निष्पादित दस्तावेज—
- जहां कि दस्तावेज को विभिन्न समयों पर निष्पादित करने वाले कई व्यक्ति हैं, वहां ऐसी दस्तावेज हर एक निष्पादन की तारीख से चार मास के अन्दर रजिस्ट्रीकरण और पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिये उपस्थापित की जा सकेंगी.
- * * * *

धारा २५ जिस दशा में उपस्थापित करने में विलंब अपरिवर्जनीय है उस दशा के लिए उपबंध —

- (१) यदि अर्जेन्ट आवश्यकता या अपरिवर्जनीय दुर्घटना के कारण भारत में निष्पादित कोई दस्तावेज या की गई डिक्री या आदेश की प्रति इस निमित्त एतस्मिन्पूर्व विहित समय का अवसान हो जाने के पश्चात् तक रजिस्ट्रीकरण करने के लिये उपस्थापित नहीं की जा सके तो रजिस्ट्रार उन दशाओं में, जिनमें उपस्थापन में विलंब चार मास से अधिक न हो, निर्देश दे सकेगा कि उस जुमाने के संदाय पर, जो कि उचित रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम के दस गुने से अधिक न हो, ऐसी दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण करने के लिये प्रतिगृहीत कर ली जाएगी.
- (२) ऐसे निर्देश के लिये कोई भी आवेदन उपरजिस्ट्रार के पास निविष्ट किया जा सकेगा जो उसे तत्क्षण उस रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा जिसके वह अधीनस्थ है.

* * * *

धारा ३२-क फोटोग्राफ इत्यादि का अनिवार्यतः लगाया जाना—

धारा ३२ के अधीन समुचित रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में कोई दस्तावेज उपस्थापित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दस्तावेज पर अपना पासपोर्ट आकार का फोटो तथा अंगुली छाप लगाएगा:

परन्तु जहां ऐसा दस्तावेज अचल संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित है, वहां दस्तावेज में वर्णित ऐसी संपत्ति के प्रत्येक क्रेता और विक्रेता के पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ और अंगुली छाप लगाए जाएंगे.

* * * *

धारा ३४ रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा रजिस्ट्रीकरण के पूर्व जांच—

- (१) इस भाग में और धाराओं ४१, ४३, ४५, ६९, ७५, ७७, ८८ और ८९ में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए कोई भी दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन तब तक रजिस्ट्रीकृत न की जाएगी, जब तक कि उसको निष्पादित करने वाले व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि, समनुदेशिनी या पूर्वोक्त जैसे रूप में प्राधिकृत अभिकर्ता धाराओं २३, २४, २५ और २६ के अधीन उसे उपस्थापित करने के लिये अनुज्ञात समय के अन्दर रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के समक्ष उपसंजात न हो:

परन्तु यदि सब ऐसे व्यक्ति अर्जेन्ट आवश्यकता या अपरिवर्जनीय घटना के कारण ऐसे उपसंजात नहीं होते हैं तो रजिस्ट्रार उन दशाओं में, जिनमें कि उपसंजाति होने में विलंब चार मास से अधिक नहीं है, यह निर्देश दे सकेगा कि समुचित रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम के दस गुने से अनधिक जुमाने के उस जुमाने के अतिरिक्त यदि कोई हो, जो धारा २५ के अधीन संदेय है, संदाय पर उस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि जब ऐसा दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फार्म में प्रस्तुत किया जाए, तो व्यक्तिगत उपसंजाति अपेक्षित नहीं होगी.

- (२) उपधारा (१) के अधीन उपसंजाति एक ही समय पर या विभिन्न समयों पर हो सकेगी—

- (३) रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर तदुपरि—

- (क) यह जांच करेगा कि ऐसी दस्तावेज उन व्यक्तियों द्वारा निष्पादित की गई थी या नहीं, जिनके द्वारा उसका निष्पादित किया जाना तात्पर्यित है,
- (ख) अपने समक्ष उपसंजात होने वाले और यह अभिकथन करने वाले कि वह दस्तावेज उन्होंने निष्पादित की है, व्यक्तियों की अनन्यता के बारे में अपना समाधान करेगा, तथा
- (ग) जबकि कोई व्यक्ति, प्रतिनिधि के समनुदेशिनी के या अभिकर्ता के रूप में उपसंजात हो रहा है, तब ऐसे व्यक्ति के ऐसे उपसंजात होने के अधिकार के बारे में अपना समाधान करेगा :

परन्तु जब ऐसा दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रस्तुत किया जाए तो जांच ऐसी रीति में की जाएगी जैसी कि विहित की जाए.

- (४) उपधारा (१) के प्रथम परन्तुक के अधीन निर्देश के लिये कोई भी आवेदन उप-रजिस्ट्रार के पास विनिष्ट किया जा सकेगा, जो तत्क्षण उसे उस रजिस्ट्रार के पास भेजेगा, जिसके वह अधीनस्थ है.
- (५) इस धारा की कोई भी बात डिक्रियों या आदेशों की प्रतियों को लागू नहीं है.

*

*

*

*

धारा ४९ जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है, उनके अरजिस्ट्रीकरण का परिणाम—

कोई भी दस्तावेज जो धारा १७ द्वारा या संपत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२, के किसी भी उपबंध द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है, जब तक कि उसका रजिस्ट्रीकरण न हो गया हो—

- (क) उसमें समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी, अथवा
- (ख) दत्तक ग्रहण की कोई भी शक्ति प्रदत्त न करेगी, अथवा
- (ग) ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में ली जाएगी:

परन्तु स्थावर संपत्ति पर प्रभाव डालने वाली और इस अधिनियम या संपत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ का सं. ४) द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिये अपेक्षित अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, १८७७ (१८७७ का सं. १) के अध्याय २ के अधीन विनिर्दिष्ट पालन के बाद संविदा के साक्ष्य के तौर पर या किसी ऐसे सांपाश्विक संव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर, जो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा लिए जाने के लिए अपेक्षित न हो, ली जा सकेगी.

*

*

*

*

धारा ५७ रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर कुछ पुस्तकों और अनुक्रमणिकाओं का निरीक्षण करने देंगे और प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां देंगे—

- (५) इस धारा के अधीन दी गई सब प्रतियां रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित की जाएंगी और मूल दस्तावेजों की अर्न्तवस्तुओं को साबित करने के प्रयोजन के लिये ग्राह्य होंगी—

*

*

*

*

धारा ६३ शपथ दिलाने और कथनों के सार को अभिलिखित करने की शक्ति—

- (१) रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपने द्वारा परीक्षित किसी भी व्यक्ति को स्वविवेक में शपथ दिला सकेगा.
- (२) हर ऐसा ऑफिसर हर ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के सार का टिप्पण स्वविवेक में अभिलिखित कर सकेगा और ऐसा कथन उसे पढ़कर सुनाया जाएगा या (यदि वह ऐसी भाषा में लिखा गया हो, जिससे ऐसा व्यक्ति परिचित नहीं है तो) उसका भाषांतरण उससे ऐसी भाषा में किया जाएगा, जिससे वह परिचित है और यदि वह ऐसे टिप्पण की शुद्धता को स्वीकृत करे तो वह रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा.
- (३) ऐसे हस्ताक्षरित ऐसा हर टिप्पण यह साबित करने के प्रयोजन के लिए ग्राह्य होगा कि उसमें अभिलिखित कथन उन व्यक्तियों द्वारा उन परिस्थितियों में अभिलिखित किए गए थे, जो उसमें कथित हैं.

*

*

*

*

धारा ८२ मिथ्या कथन करने, मिथ्या नकलों या अनुवादों को परिदत्त करने, छद्म प्रतिरूपण और दुष्प्रेरण के लिये शास्ति—

जो कोई—

- (क) कोई मिथ्या कथन, चाहे वह शपथ पर हो या नहीं, और चाहे वह अभिलिखित किया गया हो या नहीं, किसी ऐसे आफिसर के समक्ष, जो इस अधिनियम के निष्पादन में कार्य कर रहा हो, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में साक्ष्य करेगा, अथवा
- (ख) रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को धारा १९ या धारा २१ के अधीन की किसी कार्यवाही में दस्तावेज की मिथ्या प्रति या मिथ्या अनुवाद या मानचित्र या रेखांक की मिथ्या प्रति साक्ष्य परिदत्त करेगा, अथवा
- (ग) किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा और ऐसे धरे रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में कोई दस्तावेज उपस्थापित करेगा या कोई स्वीकृति या कथन करेगा या कोई समन या कमीशन निकलवाएगा या कोई अन्य कार्य करेगा, या
- (घ) इस अधिनियम द्वारा दण्डनीय की गई बात का दुष्प्रेरण करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा.

धारा ८२-क बिना लायसेंस के दस्तावेज लिखने के लिये शास्ति—

- (१) ऐसी तारीख पर या से जैसी राज्य सरकार इस निमित्त नियत करें, सिवाय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार स्वीकृत की गई अनुज्ञप्ति के अधीन कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिये किसी रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को उपस्थापित करने के लिये कोई दस्तावेज नहीं लिखेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां कि ऐसे दस्तावेज का लेखक किसी निष्पादी का प्राधिकृत अभिकर्ता हो या दस्तावेज लेखबद्ध करने के लिये निष्पादी द्वारा लगाया गया प्लीडर हो या ऐसे प्लीडर का रजिस्ट्रीकृत क्लर्क हो.

- (२) जो कोई उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, दो सौ रुपए तक विस्तारित होने वाले जुर्माने से दण्डनीय होगा.

*

*

*

*

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.